

सिटीबैंक,एन.ए.

बनाम

टीएलसी मार्केटिंग पीएलसी और अन्य

अगस्त 05, 2007

(लोकेशवर सिंह पंत, न्यायाधिपति)

मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996-

धारा 2(च), 7, 11(5), 11(10) और 11(12) सपठित धारा-10 और 21- 'अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम'-एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र-आवेदक बैंक के पात्र क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त वापसी उड़ान वाउचर, पक्षकारान के मध्य त्रिपक्षीय करार-का उल्लघन-आवेदक बैंक द्वारा करार माध्यस्थम एक मध्यस्थ खंड दर्शित हुए और एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक नाम का सुझाव दिया। प्रत्यर्थी ने मुआवजा के खंडन की मांग की और नामित सुझाव को स्वीकार करने से इंकार किया-आवेदक बैंक के द्वारा एकल मध्यस्थ की नियुक्ति अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम हेतु अन्तर्गत धारा 11(5), 11(10), 11(12) सपठित धारा 10 अधिनियम के तहत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि नोटिस असत्य है और करार के अनुबंधो के अनुरूप विवाद को सुपुर्द करने के लिए आधार नहीं और पक्षकारान के मध्य पूर्व में हुए करार समयावधि पश्चात-विकल्प में माध्यस्थम अधिकरण में तीन मध्यस्थ नियुक्त करने का

तर्क अवधारण पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाले विवाद अधिनियम की धारा 2(एफ) के संदर्भ में "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। पार्टियों ने अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रावधान के अनुसार एक मध्यस्थ हेतु समझौता किया है। करार एक वाणिज्यिक दस्तावेज है और इसकी व्याख्या करार को अमान्य करने के बजाय उसे प्रभावोत्पादकता देने के तरीके से की जानी चाहिए, संकीर्ण तकनीकी दृष्टिकोण उचित नहीं है। तथ्यों और माध्यस्थम कारक के अस्तित्व को स्वीकार किया और मामले को एक माध्यस्थम अधिकरण को संदर्भित करने का सुझाव था। धारा 10(2) की अनिवार्यता की पूर्ति होती है। माध्यस्थम करार में एकल मध्यस्थ होना प्रकट है। माध्यस्थम अधिकरण की संरचना में तीन मध्यस्थ आवश्यक नहीं है और यह अधिनियम के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए माध्यस्थम कार्यवाहियों को कम खर्चीला और अधिक प्रभावोत्पादक बनाना तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद को करार के आधार पर माध्यस्थम द्वारा निपटारे की आवश्यकता है। एकल मध्यस्थ नियुक्त किया। क्रेडिट कार्ड कार्डधारकों को "निःशुल्क वापसी उड़ान वाउचर"-उल्लंघन-उपाय--लिखित एवं दस्तावेज-वाणिज्यिक दस्तावेज-की व्याख्या

मेजर (सेवानिवृत्त) इंद्र सिंह रेखी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण,

[1988] 2 एस सी सी 338, अनुपयुक्त ठहराया गया।

दीवानी मूल क्षेत्राधिकार: मध्यस्थता याचिका/आवेदन संख्या
1/2007।

(धारा 10(2) के तहत मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 2(एफ), 11(5), 11(10) और 11(12) के साथ पढ़ें।

आर.एस.सूरी याचिकाकर्ता की ओर से

ए.के. गांगुली, सोली. जे. सोरावजी, निखिल नैयर, अंकित सिंघा,
टीवीएसआर श्रेयास और एन. गणपति प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्न आदेश दिया गया:-

1. आवेदक-सिटीबैंक, एनए ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम , 1996 की धारा 10 सपठित धारा 11(5), 11(10) और 11(12) के तहत [इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित] प्रार्थना करते हुए पार्टियों के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए अधिनियम की धारा 2(एफ) के संदर्भ में 'अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता' में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन को प्राथमिकता दी।

2. आवेदक-सिटीबैंक, एक राष्ट्रीय बैंकिंग संघ है जो विधिवत गठित, पंजीकृत और वर्तमान में लागू संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के अनुसार अस्तित्व में है और इसका मुख्य कार्यालय 399 पार्क एवेन्यू, बरो ऑफ मैनहट्टन, सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में है। भारत में अन्य स्थानों के अलावा सिटीग्रुप सेंटर, जी. सी-61, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई में

एक कार्यालय है। आवेदक- सिटी बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक सहित संबंधित प्राधिकारियों से लाइसेंस और अनुमोदन के अनुसार भारत में बैंकिंग व्यवसाय में लगा हुआ है, अन्य बातों के साथ-साथ, सामूहिक रूप से क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करता है [इसके बाद 'सिटीबैंक कार्ड' के रूप में संदर्भित किया गया है]।

3. प्रतिवादी नंबर 1-टीएलसी मार्केटिंग पीएलसी (संक्षेप में 'टीएलसी'], यूनाइटेड किंगडम में लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 54, बैंकर स्ट्रीट, लंदन WIU 7BU है। टीएलसी एक कंपनी है जो अन्य बातों के साथ-साथ अवकाश, जीवन-शैली और यात्रा सेवाओं के विपणन और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है।

4. प्रतिवादी नंबर 2-वंडरमैन इंडिया प्रा. लिमिटेड (संक्षेप में 'डब्ल्यूआईपीएल'] कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक भारतीय कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय कल्पतरु सिनर्जी, दूसरी मंजिल, गैंड हयात के सामने, वेस्टर्न हाईवे से दूर, वकोला, सांता क्रूज़ (पूर्व मुंबई) में है। प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रतिवादी नंबर 1-टीएलसी का एक विशेष विपणन और पूर्ति एजेंट है।

5. आवेदक-सिटीबैंक का कहना है कि प्रतिवादी-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल एक-दूसरे के बदले हुए रूप हैं और उनके हित समान, सह-अस्तित्व और एक दूसरे से जुड़े हैं तथा सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए वह एक पक्ष हैं और वर्तमान आवेदन की विषय-वस्तु के संबंध में उनके दायित्व संयुक्त और पृथक हैं। आवेदक-सिटीबैंक का मामला यह है कि सितंबर, 2005 में, दोनों प्रतिवादियों-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल ने सिटीबैंक से संपर्क किया था और अपनी विशेषज्ञता, पृष्ठभूमि, वित्तीय साधन और आवेदक के साथ जुड़ने के इरादे के बारे में दावों और अभ्यावेदन की एक श्रृंखला बनाई थी। आवेदक-सिटी बैंक के वफादार ग्राहकों के मूल्यवान सहयोग को पुरस्कृत करने और स्वीकार करने के लिए एक योजना लागू करेगा। उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल ने आवेदक-सिटीबैंक को बताया कि वे दुनिया भर के विभिन्न बाजारों में काम करने वाली प्रमोटर और प्रोत्साहन कंपनियां हैं और वे अपने ग्राहकों की मदद के लिए ऐसे प्रमोशनों का समर्थन करने के लिए शानदार उपभोक्ता प्रस्ताव और संबंधित सेवा ग्राहक प्रतिधारण, वफादारी इत्यादि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पेशकश कर सकते हैं। प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल ने आवेदक-सिटीबैंक को आगे बताया कि उसका प्रस्ताव आवेदक-सिटीबैंक द्वारा प्राप्त की जाने वाली वांछित अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आवेदक-सिटीबैंक द्वारा अनुरोध किया गया है कि उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल द्वारा किए गए उक्त दावों, आश्वासनों और अभ्यावेदन

पर भरोसा करते हुए, ऐसी व्यवस्थाओं को संभालने में उनकी विशेषज्ञता के संबंध में, 04.10.2005 को पार्टियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था। यह समझौता 01.10.2005 से लागू हुआ और 31.08.2006 तक वैध था।

6. आवेदक-सिटीबैंक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि योजना के तहत समझौते के पक्षकारों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि आवेदक-सिटीबैंक के पात्र क्रेडिट कार्ड ग्राहक, कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करने के बाद, 'भारत के भीतर हवाई मार्गों पर लागू नियमों और शर्तों के अधीन 'मुफ्त वापसी उड़ान वाउचर' के हकदार थे। जब भी, आवेदक-सिटीबैंक का कोई भी ग्राहक पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा, उसे आवेदक-सिटीबैंक से वाउचर मिलेगा। वाउचर प्राप्त होने के बाद, ग्राहकों के पास वाउचर में आवश्यक विवरण स्वेच्छा से पूरा करने का विकल्प था, जिसमें तीन गंतव्यों और यात्रा की तीन तारीखों का विकल्प शामिल था, लेकिन वाउचर पर हस्ताक्षर करने और उसे आवेदक-सिटीबैंक को भेजने की तारीख से 30 दिन से पहले नहीं। प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल को विभिन्न कार्य करने की आवश्यकता थी, जिसमें ग्राहक से संपर्क करना, सीट की उपलब्धता की जांच करना, प्राथमिकताओं के अनुसार बुकिंग अनुरोध की पुष्टि करना और ग्राहकों को उनकी प्राथमिकता वाली यात्रा तिथि/गंतव्य की पुष्टि भेजना शामिल था, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं था। आवेदक-सिटीबैंक और उत्तरदाता-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल ने "फ्लाइ फॉर

शयोर" कार्यक्रम नामक योजना पर सहमति व्यक्त की, जिसे आवेदक-सिटीबैंक द्वारा 01.10.2005 से 31.12.2005 तक प्रभावी माना गया था। आवेदक-सिटी बैंक ने योजना की सफलता की प्रत्याशा में उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल से 1,00,000 रिटर्न एयर-टिकट वाउचर खरीदने के लिए प्रति वाउचर 432/- रुपये और लागू करों के हिसाब से अनुबंध किया था और तदनुसार, भुगतान किया था। समझौते के परिशिष्ट- II के अनुसार इसके लिए आवेदक-सिटीबैंक के अनुसार, ग्राहकों की संतुष्टि के लिए योजना की पूर्ति सुनिश्चित करना उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल की जिम्मेदारी थी। योजना के तहत, आवेदक-सिटी बैंक के 35,000 कार्ड सदस्य उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल द्वारा प्रदान किए जाने वाले 'मुफ्त रिटर्न एयर-टिकट' का लाभ उठाने के लिए पात्र पाए गए। आवेदक-सिटीबैंक ने पार्टियों द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार पात्र और इच्छुक कार्ड सदस्यों द्वारा पूर्ण किए गए वाउचर को प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल को भेज दिया। आवेदक-सिटीबैंक द्वारा अग्रेषित वाउचर/अनुरोधों को उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल द्वारा समझौते के तहत निर्धारित तरीके से सम्मानित किया जाना था। इसके अलावा यह भी है कि उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल ऐसे परिवर्तनों के लिए उक्त ग्राहक(ग्राहकों) की सहमति प्राप्त करने के बाद ही ग्राहक(ग्राहकों) को वैकल्पिक तिथियों या गंतव्यों की पेशकश कर सकते थे।

7. यह भी कहा गया है कि प्रारंभिक चरण में योजना का संचालन और कार्यान्वयन पार्टियों के बीच समझौते के अनुसार आगे बढ़ा। हालाँकि, जनवरी, 2006 से आवेदक-सिटीबैंक को अपने पात्र ग्राहकों से शिकायतें मिलनी शुरू हो गई, जो उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल की ओर से कमियों का संकेत देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों उत्तरदाताओं ने कई संदिग्ध प्रथाओं में शामिल होना शुरू कर दिया है, जैसे कि जानबूझकर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करना जो उन्होंने पात्र ग्राहकों/कार्ड सदस्यों को उनकी निकटतम तारीखों पर कॉल करके 'बुकिंग पुष्टिकरण' में की थी। यात्रा की तारीखें और उन्हें यात्रा की तारीखें स्थगित करने के लिए मजबूर करना और ग्राहकों/कार्ड सदस्यों पर उन गंतव्यों और तारीखों को चुनने के लिए दबाव डालना जिनके लिए पसंदीदा/अनुरोध नहीं किया गया और मूल 'बुकिंग पुष्टिकरण' को रद्द करना। आवेदक-सिटीबैंक ने विभिन्न संचारों के माध्यम से सभी शिकायतों को उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल के ध्यान में लाया है और दोनों से बार-बार समझौते में निहित अपनी प्रतिबद्धताओं का निर्वहन करने का अनुरोध किया है। यह कहा गया है कि आवेदक-सिटीबैंक के प्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल को बार-बार संचार भेजे जाने के बावजूद, उन्होंने केवल आश्वासन दिया और ग्राहकों की ऐसी शिकायतों को हल करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा कोई वास्तविक उपाय नहीं किया गया। आवेदक-सिटीबैंक ने समझौते की शर्तों के उल्लंघन के विभिन्न उदाहरणों

की ओर ईशारा किया, जो उत्तरदाताओं- टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल द्वारा बार-बार किए जा रहे थे, जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता थी, ऐसा न करने पर आवेदक-सिटीबैंक अपूरणीय क्षति, नुकसान उठाने की स्थिति में था। सद्भावना और प्रतिष्ठा के साथ-साथ विभिन्न कार्यवाहियों के अधीन होने की संभावना जो प्रभावित ग्राहकों द्वारा धमकी दी जा रही थी। प्रतिवादी संख्या 1-टीएलसी के कानूनी परामर्शदाता से प्राप्त दिनांक 30.04.2006 और 04.05.2006 की प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि उत्तरदाताओं ने योजना को 'अत्यधिक विक्रय किया' और मामला कथित तौर पर प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य पाया है। उक्त प्रतिक्रियाओं में उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल की ओर से समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों से त्याग का स्पष्ट संकेत दिया गया था, क्योंकि दायित्वों को पूरा करने के लिए नई शर्तें निर्धारित की गई थीं, जिसमें आगे की राशि के भुगतान का सुझाव दिया गया था, जो कि शर्तों से समझौता ही अलग था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल द्वारा बनाई गई परिस्थितियों में, आवेदक-सिटीबैंक ने अपने पत्र दिनांक 10.05.2006 के माध्यम से उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल को 10.05.2006 से समझौते के तहत उनकी भागीदारी की समाप्ति की सूचना दी थी, आवेदक- सिटी बैंक की सद्भावना और प्रतिष्ठा की निरंतर हानि के कारण उनकी ओर से चूक और कमीशन के कृत्यों के लिए यह आवश्यक

हो गया। आवेदक-सिटीबैंक, समझौते के तहत उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल की भागीदारी समाप्त होने के बाद, अपने पात्र ग्राहकों/कार्ड धारकों को वापसी हवाई टिकट प्रदान करने की उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल द्वारा समझौते के संदर्भ में अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने और विवादों को हल करने में विफलता को देखते हुए, आवेदक-सिटीबैंक ने अपने वकील के माध्यम से उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल को दिनांक 15.07.2006 को एक कानूनी नोटिस जारी किया, जिससे पार्टियों के बीच उत्पन्न हुए विवादों के समाधान से संबंधित समझौते के खंड 10 के प्रावधानों को लागू किया जा सके। आवेदक-सिटीबैंक ने उक्त नोटिस में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति एसपी भरूचा का नाम सुझाया।

8. आवेदक-सिटीबैंक के कानूनी नोटिस दिनांक 15.07.2006 के जवाब में, प्रतिवादी संख्या 1-टीएलसी ने अपने संदेश दिनांक 14.08.2006 के माध्यम से और प्रतिवादी संख्या 2-डब्ल्यूआईपीएल ने अपने संदेश दिनांक 11.08.2006 के माध्यम से न केवल आवेदक-सिटीबैंक के दावे को खारिज कर दिया, बल्कि एकमात्र मध्यस्थ के रूप में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, माननीय श्री न्यायमूर्ति एसपी भरूचा के नामांकन को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने की सिफारिश की जिसमें तीन मध्यस्थों को शामिल किया जाए,

जिनमें से एक समझौते के तीनों पक्षों में से प्रत्येक द्वारा नामित हो तथा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति एमएच कानिया का नाम प्रस्तावित किया।

9. उपर्युक्त वर्णित स्थिति में, आवेदक-सिटीबैंक ने अब समझौते और कानून के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए निवेदन करते हुए वर्तमान आवेदन दायर किया है।

10. प्रतिवादी नंबर 1-टीएलसी ने जवाब प्रस्तुत किया कि आवेदक-सिटीबैंक द्वारा अपने योग्य कार्ड सदस्यों को दी गई योजना समझौते में अनुबंधित योजना नहीं थी और इसलिए समझौते के तहत किसी भी कथित हानि या क्षति के लिए प्रतिवादी नंबर 1-टीएलसी पर किसी भी स्थिति में कोई दायित्व नहीं हो सकता है यह कहा गया है कि आवेदन विचारणीय नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 21 के तहत मध्यस्थता का आह्वान करने वाला कोई वैध नोटिस जारी नहीं किया गया है और दिनांक 15.07.2006 के नोटिस में यह भी नहीं बताया गया है कि कथित तौर पर कितना नुकसान हुआ जिसके लिए आवेदक-सिटीबैंक मध्यस्थता कार्यवाही में दावा करना चाहता है। उक्त नोटिस बहुत अस्पष्ट है क्योंकि किसी विशेष विवाद या दावे को संदर्भित करने की मांग नहीं की गई है और इसमें यह नहीं बताया गया है कि समझौते के कथित उल्लंघन के परिणामस्वरूप आवेदक को क्या नुकसान हुआ है। यह भी प्रकट किया गया है कि

समझौते की शर्तें समाप्ति या समाप्ति से पहले उत्पन्न होने वाली वारंटी, गोपनीयता, क्षतिपूर्ति, शासी कानून और पार्टियों के दायित्वों के प्रावधानों तक सीमित हैं। 10.05.2006 से प्रभावी कोई वैध या बाध्यकारी मध्यस्थता खंड अस्तित्व में नहीं है, यानी गलत अस्वीकृति की तारीख, आवेदक-सिटीबैंक द्वारा अनुबंध जिसे उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया था, इसलिए मध्यस्थता के संदर्भ के लिए कोई विवाद मौजूद नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल अलग-अलग हैं और अलग-अलग न्यायक्षेत्रों में शामिल अलग-अलग कंपनियां हैं, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण अलग-अलग है और किसी भी परिस्थिति में उन्हें एक पक्ष के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक-सिटीबैंक ने अपने कार्ड सदस्यों को दिए गए प्रस्ताव में समझौते के परिशिष्ट-V की शर्तों को सख्ती से शामिल नहीं किया, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1-टीएलसी की सहमति के बिना सारभूत भिन्नता की एक योजना की पेशकश की। आवेदक-सिटीबैंक द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद ही इस तथ्य की जानकारी हुई। इसके अलावा, यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 11(5), 11(10) और 11(12) की पूर्ति के लिए आवश्यक शर्तें आवेदक-सिटीबैंक द्वारा पूर्ण नहीं करने पर उपरोक्त वर्णित पृष्ठभूमि में, आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

11. आवेदक-सिटीबैंक के बिजनेस मैनेजर-क्रेडिट कार्ड श्री टीआर रामचंद्रन ने अपने प्रत्युत्तर हलफनामे में मध्यस्थता आवेदन में दिए गए

दावों को दोहराया और अपने जवाबी हलफनामे में प्रतिवादी नंबर 1-टीएलसी द्वारा दिए गए बचाव को खारिज कर दिया है। यह जाहिर किया गया है कि समझौते में दिए गए उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल के दायित्वों के बावजूद, उन्होंने आवेदक-सिटीबैंक द्वारा सूचित समझौते के उल्लंघनों की पूर्ति करने के लिए कार्रवाई करने से बार-बार इनकार कर दिया था। इसके अलावा, श्री सीन लैंगली (संचालन निदेशक) द्वारा दिनांक 21.04.2006 को भेजे गए ई-मेल में तथा उसके बाद वकील के माध्यम से दिनांक 04.05.2006 को भेजे गए संदेश में, प्रतिवादी संख्या 1-टीएलसी ने आगे बढ़ने के लिए दो "विकल्प" की पेशकश की थी, जिनमें से प्रत्येक आवेदक-सिटीबैंक द्वारा उद्धृत भंग को ही सही किए बिना पूर्व समझौते को काफी हद तक संशोधित किया। यानी समझौते के तहत परिकल्पित पात्र ग्राहकों/कार्ड सदस्यों को रिटर्न टिकट प्रदान करने में उनकी विफलता को सुधारने में असफल होना और इस तरह प्रस्ताव में यह प्रश्न प्रतिवादी-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल की ओर से समझौते के मौलिक उल्लंघन के समान है। यह भी कहा गया है कि क्लॉज 7 और विशेष रूप से समझौते के परिशिष्ट-1 के संदर्भ में, अपने वाउचर भुनाने वाले ग्राहकों की संख्या के बावजूद ग्राहकों की संतुष्टि के लिए योजना की पूर्ति सुनिश्चित करना स्पष्ट रूप से उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल की जिम्मेदारी थी।

12. प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया है।

13. मैंने उभय पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

14. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आर.एस. सूरी ने तर्क दिया कि सिटीबैंक को अपने हजारों पात्र ग्राहकों से विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो 'मुफ्त वापसी उड़ान' योजना के कार्यान्वयन में उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल की ओर से कमियों की श्रृंखला का संकेत देती हैं। ऐसे सिटीबैंक कार्ड-सदस्यों को वाउचर' और 'विश्व के मुफ्त गंतव्यों के लिए', जिन्होंने भारत में चुनिंदा घरेलू हवाई मार्गों पर कुछ निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा किया है और आवेदक-सिटीबैंक ने उक्त शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान देते हुए विभिन्न संदेश भेजे और उत्तरदाताओं से बार-बार अनुरोध किया। टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल को समझौते की शर्तों का पालन करना होगा, लेकिन दोनों प्रतिवादी सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद को निपटाने में विफल रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी सद्भावना, प्रतिष्ठा और सेवा के उच्च मानकों को बचाने के लिए और समझौते की शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप सीधे नुकसान को कम करने के लिए, आवेदक-सिटीबैंक को वापसी हवाई टिकट प्रदान करने की उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था। इसके पात्र ग्राहक/कार्ड सदस्य, जिसका खर्च, निश्चित रूप से, समझौते में दिए गए प्रावधान के अनुसार दोनों उत्तरदाताओं द्वारा वहन किया जाना था और उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल द्वारा बनाई गई परिस्थितियों ने

स्पष्ट रूप से खंड 23 के तहत समझौते को समाप्त करने के लिए आधार प्रदान किया और मध्यस्थता खंड 10 को लागू करने के बाद, आवेदक-सिटीबैंक ने दोनों उत्तरदाताओं को खंड 24 के तहत नोटिस जारी किया था और उनसे अधिनियम की धारा 10(2) के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ के माध्यम से अधिनियम के तहत विवादों/मतभेदों को हल करने का अनुरोध किया था।

15. प्रतिवादी नंबर 1-टीएलसी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एके गांगुली ने श्री आरएस सूरी की उपरोक्त दलीलों का विरोध किया। श्री गांगुली के अनुसार, आवेदक-सिटीबैंक ने विवाद के अस्तित्व का अस्पष्ट दावा किया है और वास्तव में विवाद या सटीक दावा क्या है, इसकी सही पहचान या चिन्हित नहीं किया, जो मध्यस्थता खंड को लागू करने के लिए उत्पन्न हुआ है, लेकिन समाचार के बावजूद और मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवादों को सुलझाने के लिए प्रतिवादी नंबर 1-टीएलसी द्वारा आवेदक-सिटीबैंक को दिए गए अभ्यावेदन के बावजूद, मध्यस्थता खंड को लागू करने वाला कोई भी वैध नोटिस प्रतिवादी को जारी नहीं किया गया है। आवेदक-सिटीबैंक द्वारा जारी दिनांक 15.07.2006 का नोटिस अस्पष्ट है क्योंकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि किन दायित्वों का उल्लंघन किया गया था और आवेदक को ऐसे कथित उल्लंघनों के परिणामस्वरूप क्या नुकसान हुआ था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल अलग-अलग हैं और अलग-अलग न्यायक्षेत्रों में शामिल

अलग-अलग कंपनियां हैं, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण अलग-अलग है और जैसा कि आवेदक-सिटी बैंक ने तर्क दिया कि किसी भी परिस्थिति में उन्हें एक पक्ष के रूप में नहीं माना जा सकता अंततः आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की। इस दलील के समर्थन में कि पार्टियों द्वारा उठाया गया एक सटीक विवाद होना चाहिए, मेजर (सेवानिवृत्त) इंदर सिंह रेखी बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण [(1988) 2 एससीसी 338] का निर्णय प्रस्तुत किया। मुझे उक्त निर्णय को पढ़ने का लाभ मिला है जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि धारा 8 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विवाद का अस्तित्व आवश्यक है तथा मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 20 के तहत जब एक पक्ष किसी दावे पर दावा करता है और दूसरे पक्ष द्वारा उसे किसी भी आधार पर अस्वीकार करता है तो एक संदर्भ विवाद हो सकता है। केवल भुगतान करने में विफलता या निष्क्रियता से विवाद के अस्तित्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि किसी विशेष मामले में विवाद उत्पन्न हुआ है या नहीं, इसका पता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए। उद्धृत मामले में कानून का प्रस्ताव सर्वविदित और अच्छी तरह से स्थापित है, लेकिन उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी तरह से प्रतिवादियों- टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल के मामले में सहायक नहीं है।

16. प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सोली जे. सोराबजी ने श्री गांगुली के तर्कों का समर्थन कर एक वैकल्पिक तर्क दिया कि यदि यह न्यायालय आवेदक-सिटीबैंक की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है, तो 04.10.2005 के समझौते से उत्पन्न होने वाले विवाद, यदि कोई हो, को तीन मध्यस्थों तथा उनसे चयन वाले एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जा सकता है। तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति को आवेदक-सिटीबैंक और उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल द्वारा संयुक्त रूप से पहले से ही नामित दो नामित मध्यस्थों की ईच्छा पर छोड़ा जा सकता है। मुझे यह निवेदन स्वीकार करने में डर लग रहा है। मेरी राय में, तीन मध्यस्थों से युक्त मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना आवश्यक या समीचीन नहीं है और न ही इसे पार्टियों के व्यापक हितों में निष्पक्ष और उचित कहा जा सकता है क्योंकि इस तरह के आदेश से पार्टियों पर मध्यस्थ कार्यवाही पर मुकदमा चलाने में अतिरिक्त धनराशि का बोझ पड़ सकता है। अधिनियम का उद्देश्य पार्टियों के लिए अपने विवादों को निपटाने के लिए कम खर्चीला और अधिक प्रभावी उपाय प्रदान करना है।

17. उपरोक्त वर्णित तथ्यात्मक स्थिति और पक्षों के संबंधित तर्कों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या आवेदक-सिटीबैंक द्वारा उत्तरदाताओं को भेजे गए अनुस्मारक और कानूनी नोटिस के बाद विभिन्न संचारों को ध्यान में रखा गया है। टीएलसी

और डब्ल्यूआईपीएल जिसके तहत पात्र ग्राहकों/कार्ड सदस्यों से उन्हें प्रदान की गई सेवाओं में कमियों और समझौते के परिशिष्ट- II में निर्धारित अन्य विवादों/मतभेदों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और साथ ही 'मुफ्त वापसी हवाई वाउचर' प्रदान करने में विफल रहे हैं। समझौते के परिशिष्ट-I के प्रावधानों के अनुसार "फ्लाई फॉर श्योर" कार्यक्रम के संबंध में रिटर्न फ्लाइट वाउचर, समझौते में निहित एक मध्यस्थता खंड को लागू किया जा सकता है।

18. पार्टियों द्वारा 04.10.2005 को त्रिपक्षीय समझौता विवाद में नहीं है। यह समझौता 01.10.2005 से लागू हुआ और 31.08.2006 तक वैध था, जिसे समझौते के खंड 3.1 की शर्तों के अनुसार पार्टियों द्वारा लिखित रूप में आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता था। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल ने आवेदक-सिटीबैंक से संपर्क किया और आवेदक की 'मुफ्त वापसी हवाई वाउचर' और 'वर्ल्ड फॉर फ्री डेस्टिनेशन' योजना के क्रियान्वयन की पूर्ति के लिए एजेंसी के रूप में नियुक्त होने की अत्यधिक इच्छा व्यक्त की। सिटीबैंक और समझौते के खंड 4 के अनुसार ग्राहकों को संबंधित सेवाएं प्रदान करना, प्रतिवादी नंबर 1-टीएलसी समझौते के खंड 6 के तहत डब्ल्यूआईपीएल द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुआ था। खंड 8 के संदर्भ में, उत्तरदाताओं द्वारा आवेदक-सिटीबैंक को दिए गए अभ्यावेदन पर, पार्टियों ने संलग्न परिशिष्टों और संलग्नकों में निहित नियमों और शर्तों पर विशेष

आधार पर समझौते में प्रवेश किया था और संदर्भ द्वारा शामिल किया गया था। समझौते का एक अभिन्न अंग है इसलिए, इस मामले में विवाद की निपटारे के लिए उक्त समझौते से उत्पन्न होने वाले विवाद या विवादों के संबंध में मध्यस्थता समझौते के प्रासंगिक खंडों को संदर्भित करना आवश्यक है। खंड 2.2 "सेवाओं" से संबंधित है और खंड 2.3 "मुफ्त वापसी उड़ान वाउचर" को परिभाषित करता है, जबकि खंड 2.4 में "मुफ्त गंतव्यों के लिए विश्व" को परिभाषित किया गया है।

19. समझौते का खंड 4 "सेवाओं" से संबंधित इस प्रकार है:-

"4. डब्ल्यूआईपीएल इसके परिशिष्ट-1 के प्रावधानों के अनुसार सिटीबैंक और उसके ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा।

टीएलसी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा कि डब्ल्यूआईपीएल इस समझौते के परिशिष्ट- 1 सहित प्रावधानों के अनुसार सिटीबैंक और उसके ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है।"

20. समझौते का खंड 7 डब्ल्यूआईपीएल और टीएलसी के सामान्य दायित्व की व्याख्या करता है।

21. खंड 7.1, 7.2 और 7.2.2 इस प्रकार हैं:-

"7.1 परिशिष्ट-1 के प्रावधानों के अनुसार सिटीबैंक और उसके ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डब्ल्यूआईपीएल पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और डब्ल्यूआईपीएल इसके द्वारा परिबद्ध करता है कि वह सिटीबैंक को हर समय सुरक्षित और हानिरहित रखेगा और इसके बाद समय समय पर इसके द्वारा या विरुद्ध हानी की क्षतिपूर्ति देगा, (i) सभी नुकसान से, सिटीबैंक को हुई और क्षति (ii) सिटीबैंक के खिलाफ किए गए या अपनाए गए सभी दावे, मांगें, ग्राहक शिकायतें, मुकदमे, कार्रवाई और/या दीवानी या आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही और (iii) सभी लागत, शुल्क और खर्च इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में डब्ल्यूआईपीएल द्वारा विफल रहने और/या इस समझौते और इसके परिशिष्ट-1 के तहत अपनी सभी या किसी भी जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने के कारण या उसके परिणामस्वरूप सिटीबैंक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान एवं उसके परिणाम के लिए।

7.2 इस अनुबंध और इसके परिशिष्ट-1 के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व या जिम्मेदारियों के संबंध में डब्ल्यूआईपीएल और टीएलसी इसके द्वारा सिटीबैंक को

छोड़कर सभी दावों, मांगों, विवादों, मुकदमों, कार्रवाइयों और/या दीवानी या आपराधिक प्रकृति की कार्यवाही के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार होने का वचन देते हैं, जो उनके किसी भी कार्य को पूरा न करने से उत्पन्न होता है।

7.2.2

.....

डब्ल्यूआईपीएल सिटीबैंक के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने और परिशिष्ट-1 के प्रावधानों के अनुसार मुफ्त वापसी उड़ान वाउचर जारी करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा कि जिन वाहकों के साथ उसने कोई व्यवस्था की, इस समझौते का पालन करते हुए, अपने दायित्वों का सख्ती से पालन करें और इस समझौते के अनुसरण में सिटीबैंक के ग्राहकों को जारी किए गए सभी रिटर्न फ्री फ्लाइट वाउचर का सम्मान स्वीकार करें।"

22. समझौते का खंड 10 मध्यस्थता खंड है, जो निम्न प्रभाव डालता है:-

"10. पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि व्याख्या, आवेदन या इस समझौते के संबंध में उत्पन्न कोई भी विवाद, दावा या विवाद जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता है, उसे भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और किसी भी संशोधन के तहत मध्यस्थता द्वारा निर्णायक रूप से हल किया जाएगा। इसके अनुसार बनाया गया, मध्यस्थता का स्थान मुंबई होगा और मध्यस्थता केवल अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। यह समझौता भारतीय कानूनों द्वारा शासित होगा और केवल मुंबई में अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होगा।"

23. खंड 23 "करार की समाप्ति" से संबंधित है और निम्नानुसार है: -

"23.समाप्ति-सिटीबैंक इस संबंध में डब्ल्यूआईपीएल और टीएलसी को 30 दिन की पूर्व सूचना पर इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

इस स्थिति में इसका प्रभाव यह है कि कि एक तरफ सिटीबैंक और दूसरे हिस्से में डब्ल्यूआईपीएल और टीएलसी, इस समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय, इसमें निहित किसी भी आवश्यकता, दायित्व और अनुबंध और

वारंटी का कोई भी सारवान उल्लंघन करेंगे, और लिखित सूचना के बाद 7 (सात) दिनों के भीतर इस तरह के उल्लंघन का समाधान करेंगे और ऐसा करने में विफल रहेंगे तो अन्य पक्ष अपने विवेक पर, और कानून या इक्विटी में उपलब्ध किसी भी अन्य उपाय के अलावा, लिखित नोटिस द्वारा इस समझौते को समाप्त कर सकते हैं।"

24. समझौते का खंड 24 किसी भी पक्ष द्वारा नोटिस देने का प्रावधान करता है।

25. समझौते के पक्षकारों की ओर से दायित्वों और जिम्मेदारियों को परिशिष्ट-I में शामिल किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पना की गई है कि प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा कि वह आवेदक सिटीबैंक को आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा। उसके पात्र ग्राहक/कार्ड सदस्य समझौते की शर्तों के अनुसार उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली संतोषजनक सेवा समझौते की शर्तों के अनुसार उनकी ओर से मूल दायित्व था और यह एक पूर्व-आवश्यक शर्त थी कि आवेदक-सिटीबैंक शर्तों के अनुसार टिकटों की लागत का कमीशन का भुगतान करेगा। इसके अलावा समझौते के परिशिष्ट-II का उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल ने संयुक्त रूप से और अलग-अलग आवेदक-सिटीबैंक को

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उत्तरदाताओं के कारण या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी लागतों, आरोपों और खर्चों से क्षतिपूर्ति करने का वचन दिया। -टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल परिशिष्ट-। के साथ पढ़े गए समझौते के तहत अपनी किसी भी जिम्मेदारी और दायित्व को पूरा करने में विफल रहे हैं। समझौते में परिकल्पित "फ्लाई फॉर श्योर" कार्यक्रम के तहत, आवेदक-सिटीबैंक के 35,000 कार्ड सदस्य उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल द्वारा प्रदान किए जाने वाले 'फ्री रिटर्न फ्लाइट वाउचर' के अवसर का लाभ उठाने के लिए पात्र पाए गए। आवेदक-सिटीबैंक ने पार्टियों द्वारा सहमत प्रक्रिया के अनुसार पात्र और इच्छुक कार्ड सदस्यों द्वारा पूर्ण किए गए वाउचर को प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल को भेज दिया। आवेदक-सिटीबैंक द्वारा अग्रेषित वाउचर/अनुरोधों को उत्तरदाताओं द्वारा संयुक्त रूप से समझौते के तहत निर्धारित तरीके से सम्मानित किया जाना था, जिसमें तीन तिथियों में से किसी एक के लिए 'वापसी हवाई टिकट' जारी करना शामिल था। तीन गंतव्य, जैसा कि ग्राहकों ने बताया उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल ऐसे परिवर्तनों के प्रति उनकी सहमति प्राप्त करने के बाद, ही ग्राहकों और 35,000 कार्ड सदस्यों को आगे या अन्य वैकल्पिक तारीखों या गंतव्यों की पेशकश कर सकते थे। रिकॉर्ड पर रखे गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों से पता चलता है कि आवेदक-सिटीबैंक ने उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल से पात्र ग्राहकों की शिकायतों के संबंध में समझौते की शर्तों का पालन करने का अनुरोध किया है, जो

उत्तरदाताओं-टीएलसी की ओर से सेवाओं में कमियों की श्रृंखला का संकेत देते हैं, हालाँकि आवेदक-सिटीबैंक के प्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल को बार-बार संदेश भेजे जाने के बावजूद, डब्ल्यूआईपीएल केवल आश्वासन दिया और अपनी चूक और कमीशन के कृत्यों को सुधारने के लिए उनके द्वारा कोई वास्तविक उपाय नहीं किया गया। कूरियर ई-मेल नोटिस दिनांक 10.05.2006 सहित विभिन्न संदेश में आवेदक-सिटीबैंक (जिनकी प्रतियां इन कार्यवाहियों के रिकॉर्ड में रखी गई हैं)। 2006 (अनुलग्नक ए-8) में एक ओर आवेदक-सिटीबैंक और दूसरी ओर उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल के बीच उत्पन्न विवादों और मतभेदों के विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा हल किया जाना है। समझौते का मध्यस्थता खंड 10 कानूनी नोटिस दिनांक 15.07.2006 (प्रतिलिपि अनुलग्नक ए-9) जैसा कि समझौते और अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिकल्पित किया गया है, आवेदक की कानूनी फर्म-सिटीबैंक द्वारा उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल को माननीय श्री न्यायमूर्ति एसपी भरूचा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के नाम का सुझाव दिया और एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके जवाब में, प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल ने पंजीकृत एडी फैंक्स-ई-मेल-कूरियर दिनांक 11.08.2006 के माध्यम से उक्त संदेश और नोटिस दिनांक 15.07.2006 में आवेदक-सिटीबैंक के सभी आरोपों से इनकार किया। प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल ने यह भी कहा

कि नोटिस में लगाए गए या किसी पूर्व पत्राचार के माध्यम से लगाए गए सभी कथित आरोपों को व्यापक उत्तर के माध्यम से या किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही के मामले में काउंटर दावे के माध्यम से निपटाया जाएगा। प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल ने सिफारिश की कि विवादों को एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास भेजा जाए, जिसमें समझौते के सभी तीन पक्षों, अर्थात् आवेदक- सिटी बैंक और उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल द्वारा नामित तीन मध्यस्थ शामिल हों। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति एम एच कानिया को अपना नामांकित व्यक्ति नामित किया।

26. प्रतिवादी संख्या 1-टीएलसी ने आवेदक-सिटीबैंक की ओर से सॉलिसिटर्स द्वारा भेजे गए दिनांक 15.07.2006 के नोटिस दिनांक 14.08.2006 के अपने उत्तर में, इसके तहत किसी भी दायित्व को पूरा न करने या उल्लंघन के निराधार आरोपों से इनकार किया। पार्टियों के बीच दिनांक 04.10.2005 को समझौता के उत्तर में, प्रतिवादी संख्या 1-टीएलसी का कहना है कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाला नोटिस वैध नहीं है क्योंकि यह भारत में लागू अधिनियम की धारा 21 की आवश्यकता का अनुपालन नहीं करता है क्योंकि नोटिस की विषयवस्तु से यह पूरी तरह से अस्पष्ट है कि आवेदक-सिटीबैंक ने जिन विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजने की मांग की है, आवेदक-सिटीबैंक को पहले अपने कथित दावों और विवादों की महत्ता प्रदान करनी चाहिए। हालाँकि, प्रतिवादी नंबर 1- टीएलसी

तीन सदस्यों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए प्रतिवादी नंबर 2-डब्ल्यूआईपीएल के सुझाव से सहमत है, जिनमें से प्रत्येक को समझौते के पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाना है।

27. जैसा कि ऊपर देखा गया है, पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौते से उत्पन्न होने वाले विवाद अधिनियम की धारा 2 (एफ) के संदर्भ में "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। पार्टियों ने अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रावधान के अनुसार एक मध्यस्थता समझौता किया है। अधिनियम की धारा 10(1) में प्रावधान है कि पक्ष मध्यस्थों की संख्या निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि ऐसी संख्या सम संख्या न हो। उप-धारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारण में असफल होने पर, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में अधिनियम की धारा 10(2) के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा। अधिनियम की धारा 21 में कहा गया है कि जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही उस तारीख से शुरू होगी जिस दिन उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी द्वारा प्राप्त किया जाता है।

28. अनुबंध एक वाणिज्यिक दस्तावेज है और इसकी व्याख्या अनुबंध को अमान्य करने के बजाय उसे प्रभावकारिता देने के तरीके से की जानी चाहिए। संकीर्ण तकनीकी दृष्टिकोण उचित नहीं है। मध्यस्थता का

उपरोक्त दर्शित खंड 10 अपने आप में सभी विवादों को शामिल करता है और मध्यस्थता समझौते को इतना अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं कहा जा सकता है जितना कि अप्रवर्तनीय है। समझौते के खंड 10 में, शब्द "व्याख्या, आवेदन या इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद, दावा या विवाद जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता है" समझौता सभी मामलों को अपने दायरे में ले सकता है जो वैध रूप से संबंध से उत्पन्न हो। मध्यस्थता खंड किसी विशेष दावे या प्रतिदावे पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं लगाता है, जिसका विवरण पार्टियों द्वारा मध्यस्थ के समक्ष अपनी दलीलों में प्रस्तुत किया जाएगा। खंड 10 में निहित शब्द काफी व्यापक हैं और चूंकि प्रश्न अनुबंध की सही व्याख्या पर आ गया है और पार्टियों को अपने दावे और प्रतिदावे, यदि कोई हो, को स्थापित करने के लिए अनुबंध का सहारा लेना होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी समझौते से इनकार नहीं किया गया है और अस्तित्व में है और आवेदक-सिटीबैंक द्वारा उत्तरदाताओं को जारी किए गए पत्रों और नोटिसों और टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से दावे का दावा किया गया है तथा मामला मध्यस्थता योग्य माना। उत्तरदाताओं-टीएलसी और डब्ल्यूआईपीएल के आचरण से पता चलता है कि आवेदक-सिटीबैंक के संचार और नोटिस प्राप्त होने पर, उनके द्वारा इसे सिरे से खारिज नहीं किया गया था। मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया

गया और मामले को, यदि कोई हो, तीन सदस्यों वाले एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजने का सुझाव दिया गया, प्रत्येक पक्ष द्वारा एक को नियुक्त किया जाना था।

29. अनुबंध के प्रासंगिक खंडों के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के उदाहरणों के साथ-साथ परिशिष्ट और संलग्नक में निहित विशिष्ट दायित्वों और जिम्मेदारियों के उल्लंघन के मामलों और समझौता और समझौते के खंड 10 में प्रयुक्त शब्दों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्ष, अधिनियम की धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थों की एक समान संख्या निर्धारित करने में विफल रहे हैं, इस कारण धारा 10(2) वर्तमान कार्यवाही में पूरी तरह से आकर्षित है, दूसरे शब्दों में, मध्यस्थता करार को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने वाला माना जाता है।

30. उपरोक्त परिस्थितियों में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुबंध से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच विवादों और मतभेदों को मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाना आवश्यक है, माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति सुजाता वी. मनोहर, इस न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, को इसके द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

31. तदनुसार, मध्यस्थता आवेदन का निस्तारण किया जाता है। खर्चा के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया।

निस्तारण किया गया ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी लीलूराम सिहाग (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।